भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2222

उत्तर देने की तारीखः 02.08.2021

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपति

2222. डॉ. डी. रविकुमारः

श्री बृजेन्द्र सिंहः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या बड़ी संख्या में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वर्तमान में नियमित कुलपति (वीसी) नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं ऐसी नियुक्तियों को लंबित रखने के क्या कारण हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वीसी के पदों पर अनुसूचित जाति (एससी,) अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के वीसी का राज्य-वार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ड़) क्या सरकार की योजना राज्य द्वारा चालित विश्वविद्यालयों में वीसी, सीनेट, सिंडीकेट, अकादमिक परिषद् के सदस्यों में एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण शुरु करने की है;और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख): हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के 12 पद भरे गए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया एक समय लेने वाली प्रक्रिया है जिसमें संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद/कोर्ट के नामांकन(नों) प्राप्त करना, खोज-सह-चयन समिति का गठन, पदों का विज्ञापन, आवेदनों की जांच, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के साथ बातचीत, सतर्कता क्लीयरेंस प्राप्त करना, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन आदि शामिल हैं। इसलिए, कोई समय-सीमा का संकेत नहीं दिया जा सकता है।

(ग) और (घ): केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में, खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर, संबंधित अधिनियम और संविधियों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। संबंधित विश्वविद्यालय की खोज-सह-चयन समिति में संबंधित केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद/प्रबंधन बोर्ड/कोर्ट के नामितियों साथ-साथ विजिटर के नामिति शामिल होते हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग के कुलपतियों का राज्यवार डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ड.) और (च): राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय राज्यों के विभिन्न अधिनियमों द्वारा अभिशासित होते हैं।

*****